28.8.25 पत्रावली पेश हुई। वास्तुलाल भारिकेन उपस्थित। पुनरीक्षण की याचना के पत्रावली दिनांक 29/8/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

29.8.25 पत्रावली पेश हुई। वास्तुलाल भारिकेन उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र Not Press करने की अनुमति प्रदान करे। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली Not Press करने की अनुमति प्रदान की जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. Not Press के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Not Press
आवे-वादी
(कमलेश सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर